बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>कार्यालय आदेश</u>

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–116/2021 36 /पटना, दिनांक :–23.8.21

कार्य प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत निर्मित, निर्माणाधीन एवं मरम्मति कार्य में अनियमितता एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने के संबंध में दिये गये परिवाद पत्रों के संदर्भ में गठित त्रि–सदस्यीय जाँच समिति द्वारा दिनांक 28.07.2021 से दिनांक 30.07.2021 के बीच कुल 17 पथों की जाँच की गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 14 पथों के निर्माण कार्य में कई गंभीर त्रुटियाँ पायी गयी है। उक्त पथों में से एक पथ यथा हडिया से पचिया पथ के निर्माण कार्य से संबंधित कनीय अभियंता श्री सुबोध कुमार है, जो उक्त त्रुटि/अनियमितता के लिये प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं।

4. निलंबन अवधि में श्री सुबोध कुमार का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री सुबोध कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के अंतर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. श्री सुबोध कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है।

23/8/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–116/2021 1115 /पटना/दिनांकः– 23.8.21

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नवादा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—2/अ०प्र०—1—116/2021 1165 /पटना/दिनांकः— 23.8.21

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :—2/अ०प्र०—1—116/2021 1165 /पटना/दिनांकः—23.8.21

प्रतिलिपि :— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

23/8/21

अभियंता प्रमुख